प्रेस-नोट

थाना चिरगाँव, जनपद झाँसी

दिनाँक- 02.05.2025

- जनपद झाँसी पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधों के विरुद्ध की जा रही सख्त कार्यवाही,
- पुलिस मुठभेड़ में अवैध असलहा-कारतूस की खरीद-फरोख्त करने वाले गैंग का मुखिया गिरफ्तार,
- कब्जे से 09 देशी तमंचा, 01 देशी रिवॉल्वर, जिन्दा व खोखा कारतूस तथा अवैध शास्त्र बनने के उपकरण व घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल तथा 02 मोबाइल फोन बरामद,

कृपया अवगत कराना है कि श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर, श्री आलोक सिंह व श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, झाँसी परिक्षेत्र, झाँसी श्री केशव कुमार चौधरी के कुशल मार्गदर्शन व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झाँसी श्री बीबीजीटीएस मूर्ति के कुशल निर्देशन में जनपद झाँसी में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध झाँसी पुलिस द्वारा की जा रही प्रभावी कार्यवाही के क्रम में आज दिनाँक 02.05.2025 की रात्रि में थाना चिरगाँव क्षेत्रान्तर्गत थाना चिरगाँव पुलिस टीम व बदमाशों के मध्य हुई पुलिस मुठभेड़ में अभियुक्त शाहरुख राईन पुत्र असगर राईन निवासी मोहल्ला कराईयनपुरा थाना चिरगांव झांसी उम्र करीब 28 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 04 अवैध देशी तमंचा 315 बोर, 01 अद्धी तमंचा 315 बोर, 01 देशी तमंचा 303 बोर सभी चालू हालत में, 01 देशी रिवाल्वर .32 बोर, 02 देशी तमंचा 315 बोर, 01 अद्धी देशी तमंचा 315 बोर सभी चालू हालत में नहीं हैं, 1 खोखा कारतूस व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर, असलहा बनने के उपकरण, 02 मोबाइल फोन, घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल बरामद किया गया। उक्त सम्बन्ध में थाना चिरगाँव पर मु0अ0सं0 110/2025 धारा 3/5/25/7 आर्म्स एक्ट व 109 बीएनएस का अभियोग पंजीकृत करते हुये विधिक कार्यवाही की गयी। गिरफ्तार अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

संक्षिप्त विवरण-

आज दिनांक 02.05.2025 की रात्रि में थाना चिरगाँव पुलिस टीम द्वारा चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति, वाहन व गश्त के दौरान थाना चिरगाँव क्षेत्रान्तर्गत सन्त बेहटा मोड के पास मोटर साइकिल से जा रहे 02 बदमाशों के साथ हुई पुलिस मुठभेड़ में अभियुक्त शाहरुख राईन पुत्र असगर राईन निवासी मोहल्ला कराईयनपुरा थाना चिरगांव झांसी उम्र करीब 28 वर्ष को गिरफ्तार किया गिया। जिसके कब्जे से 04 अवैध देशी तमंचा 315 बोर, 01 अद्धी तमंचा 315 बोर, 01 देशी तमंचा 303 बोर सभी चालू हालत में, 01 देशी रिवाल्वर .32 बोर, 02 देशी तमंचा 315 बोर, 01 अद्धी देशी तमंचा 315 बोर सभी चालू हालत में नहीं हैं, 1 खोखा कारतूस व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर, असलहा बनने के उपकरण, 02 मोबाइल फोन, घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल बरामद किया गया। मौके से इसका साथी बदमाश कामेन्द्र यादव उर्फ केडी निवासी ग्राम सिया थाना चिरगाँव झांसी रात्रि का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा है। उपरोक्त सम्बन्ध में अभियुक्त शाहरुख राईन तथा कामेन्द्र यादव उर्फ कैंडी के विरूद्ध थाना चिरगाँव पर मु0अ0सं0 110/2025 धारा 3/5/25/7 आर्म्स एक्ट व 109 बीएनएस का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी। गिरफ्तार अभियुक्त शाहरुख राईन को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

पूछताछ के दौरान शाहरूख राइन उपरोक्त द्वारा बताया गया कि वह अपने साथियों संदीप कुशवाहा उर्फ सैण्डी, कामेन्द्र यादव उर्फ केडी निवासीगण ग्राम सिया व गफूर खान निवासी ग्राम देवरा के साथ मिलकर अवैध असलहों का निर्माण करता है तथा उन असलहों को अपने साथियों के साथ आस-पास के क्षेत्रों में बिक्री करता है। उससे प्राप्त होने वाले धन को वे लोग आपस में बाँट लेते हैं। इसके साथी संदीप कुशवाहा उर्फ सेण्डी व गफूर खाँ को पुलिस द्वारा पकड़ लिये जाने पर वह भयवश अपने साथी कामेन्द्र यादव उर्फ केडी के साथ मोटर साइकिल (UP 93 BU 2458) से अवैध असलहों तथा असलहा बनाने के सामग्री को छिपाने के लिए झाँसी से भाण्डेर की तरफ जा रहे था।

उल्लेखनीय है कि कल दिनाँक 01.05.2025 को थाना चिरगाँव पुलिस द्वारा मुखविर की सूचना पर समय करीब 03:00 बजे रात्रि को कस्बा चिरगाँव के लाल गोला मोड़ रोड़ से अभियुक्त 1. संदीप कुशवाहा उर्फ सेन्डी पुत्र द्वारिका प्रसाद निवासी ग्राम सिया थाना चिरगांव जिला झाँसी उम्र करीब 24 वर्ष व 2. गफूर खान पुत्र स्व0 वाहिद खाँन निवासी ग्राम देवरा थाना चिरगाँव जिला झाँसी को गिरफ्तार किया गया था। जिनके कब्जे से 01-01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01-01 जिन्दा कारतूस 315 बोर एवं संगठित रुप से गिरोह बनाकर अवैध शस्त्रों तथा कारतूसों के व्यापार में प्रयुक्त कुल 03 मोबाइल फोन बरामद करते हुये उपरोक्त सम्बन्ध में शाहरुख राईन, कामेन्द्र यादव उर्फ केडी, संदीप कुशवाहा उर्फ सेन्डी, गफूर खान के विरूद्ध थाना चिरगाँव पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुये विधिक कार्यवाही की गयी। उपरोक्त अभियुक्तों का एक संगठित गिरोह हैं, जो सामूहिक रूप से अवैध तमंचे बनाते हैं और बेंचतें हैं। व्हाट्सएप्प के माध्यम से असलहों की फोटो भेजते हैं और बिक्री धनराशि अपने-अपने कार्य के अनुसार बाँट लेते हैं।

बरामदगी – 04 अवैध देशी तमंचा 315 बोर, 01 अद्धी तमंचा 315 बोर, 01 देशी तमंचा 303 बोर सभी चालू हालत में, 01 देशी रिवाल्वर .32 बोर, 02 देशी तमंचा 315 बोर, 01 अद्धी देशी तमंचा 315 बोर सभी चालू हालत में नहीं हैं, 1 खोखा कारतूस व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर, असलहा बनने के उपकरण, 02 मोबाइल फोन, घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल,

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता- शाहरुख राईन पुत्र असगर राईन निवासी मोहल्ला कराईयनपुरा थाना चिरगांव झांसी उम्र करीब 28 वर्ष

गिरफ्तार अभियुक्त शाहरुख राईन का आपराधिक इतिहास-

1	217/2017	504/506 भादवि	चिरगाँव	ए- 48/17 दि0 07.04.17
2	21/2022	323/504/506 भादवि	चिरगाँव	ए – 10/22 दि0 25.01.22
3	263/22	323/325/504/506 भादवि	चिरगाँव	ए- 270/22 दि0 10.10.22
4	267/24	155(2)/352/351(3) बीएनएस	चिरगाँव	ए- 239/24 दि0 17.09.24
5	109/25	3/5/25(7) आर्म्स एक्ट	चिरगाँव	विवेचनाधीन
6	110/25	3/5/25(7)आर्म्स एक्ट व 109 बीएनएस	चिरगाँव	विवेचनाधीन

गिरफ्तारी का स्थान व समय- ग्राम छिरौना, थाना चिरगाँव, जनपद झांसी, दिनांक 02.05.2025 समय प्रातः करीब 03.55 बजे

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

1. प्र0नि0 श्री तुलसीराम पाण्डेय थाना चिरगाँव जिला झाँसी
2. व0उ0नि0 श्री आनन्द कुमार सिह थाना चिरगाँव जिला झाँसी
3. उ0नि0 श्री सराफत बेग थाना चिरगाँव जिला झांसी
4. उ0नि0 श्री कामता प्रसाद शर्मा थाना चिरगाँव जिला झांसी
5. उ0नि0 श्री वीरेन्द्र सिंह यादव थाना चिरगाँव जिला झांसी
6. उ0नि0 श्री नवीन सिह थाना चिरगाँव जिला झांसी
7. उ0नि0 श्री देवेन्द्र सिंह थाना चिरगाँव जिला
8. हे0का0 473 अजमतउल्ला थाना चिरगाँव जिला झांसी
9. हे0का0 326 अभिषेक कुमार थाना चिरगाँव जिला झांसी
10. हे0का0 363 इन्दल सिंह थाना चिरगाँव जिला झाँसी
11. का0 178 शिवम सिंह थाना चिरगाँव जिला झांसी
12. आरक्षी चालक अनिल कुमार थाना चिरगाँव जिला झाँसी
13. आरक्षी चालक आलोक कुमार थाना चिरगाँव जिला झाँसी